

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत राजस्थान हाईकोर्ट अजमेर मुकाम अजमेर

बनाम खेताराम कौर तहसील गिड़ा
 किस्म मुकदमा रा.म. 131,136 RLR act नं 103/2022 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
08.04.2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलेंट के वकील श्री <u>नरपत ४२५</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>131,136</u></p> <p>राजस्थान कायदाकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>26.04.2022</u> को पेश हो।</p> <p><u>तहसीलदार गिड़ा को रिपोर्ट देना लट्टीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 26.04.22 को पेश हो।</u></p>	
26/04/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार गिड़ा से रिपोर्ट प्राप्त जिसे वाकिल नही हुई है बलजार होकर पत्रावली दिनांक - 09/05/2022 को पेश हो।</p>	<p>राज्यक कलेक्टर (SDO) बायतु जिला - बाड़मेर</p>
09/05/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या - 1 तहसीलदार गिड़ा से मौखिक रिपोर्ट प्राप्त जिसे वाकिल पत्रावली दिनांक गण। प्रार्थी के अधिकार की रजिस्ट्रेशन बंद कर चुकी गई, प्रार्थी के अधिकार द्वारा बताया की प्रार्थी को व्यावसायिक क्षेत्र की भूमि</p>	<p>राज्यक कलेक्टर (SDO) बायतु जिला - बाड़मेर</p>

राज्यक कलेक्टर (SDO)
 बायतु
 जिला - बाड़मेर

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म

हुक्म
 १०/०६/२००२
 ३२५/२६७
 ३२/३१/२६७
 ६१०/५१२

मूल खसरा नम्बर - 234, 235, 264, 265,
 266, 267 मौजा - लेगाँ की ढाणी परवार
 मण्डल - चीनी तहसील - गिड़वा मूलखसरा
 नम्बर - 216, 220 मौजा - टोलोणी परवार
 मण्डल - चीनी व मूल खसरा नम्बर -
 371, 372, 492 मौजा - दर्जियों की बौरी
 बौरी परवार मण्डल - लापून्डा तहसील - गिड़वा
 वर्तमान खसरा नम्बर - 234, 321/265,
 325/267, 327/267, 308/235, 324/267,
 329/267, 307/235, 323/267, 326/267, 264,
 266, 306/235, 322/267, 328/267 रकबा
 क्रमशः 0.0809, 0.0324, 8.9112, 1.4569,
 0.3561, 4.8562, 7.8590, 6.1188, 1.6187,
 4.6943, 0.1862, 0.0486, 1.6187, 5.9893,
 1.9425 हेक्टर मौजा - लेगाँ की ढाणी परवार
 मण्डल - चीनी व खसरा नम्बर - 371, 648/492,
 374, 649/371, 650/492, 492 रकबा - क्रमशः
 5.1800, 5.1314, 3.3427, 0.9712, 3.4074, 2.5900
 हेक्टर मौजा - दर्जियों की बौरी परवार मण्डल -
 लापून्डा व खसरा नम्बर - 253/216, 256/220,
 254/216, 255/220 रकबा क्रमशः 7.7700,
 0.5585, 1.8211, 6.5154 हेक्टर मौजा -
 टोलोणी परवार मण्डल - चीनी तहसील - गिड़वा
 जिला - खाड़मेर में आई हुई है जो जमीन
 के रुजने शांत की भूमि है जिसपर जमीन
 की रहवासी बागियाँ, टांडे, लाटा आदि बने
 हुए हैं जमीन ने अपने मूल खसरा न. का
 सदरमति विभाजन दिनांक - 04.06.2002 की उरवा
 उर मौके पर रुजना शांत मनुसा अपने खेतों
 की तरमीम उरवाई गई, वर्तमान में तहसील के

कलेक्टर (S.D.O.)
 खाड़मेर

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

राज्य सरकार सं-163/22 मन्वान - रवेनाराम कोरा 1/5 लखीमपुरा

कम्यूटीकृत करने के लिये जमीन गलत
कर दी गई। मन्वान कोरा पर आधीगांव के टांडे
हाथियां, पशु वाड़े, चार वाड़े आदि प्रभावित की
रहे हैं। आधीगांव मन्वान के लिये भी मोड़ पर 36 जे
हाथ व अर्ब में लिये गये थे। मन्वान पर लख
मन्वान लखीमपुरा करने हेतु यह लखीमपुरा
का आवेदन किया गया।

आधीगांव का आवेदन दर्ज रजिस्ट्रार
द्वारा जाकर लखीमपुरा जिंडा से मोड़ रिपोर्ट
लखीमपुरा की गई लखीमपुरा जिंडा से मोड़ रिपोर्ट
प्राप्त हुई जिसे शामिल पभावली किया गया।

हमने आधी के अधिकृत की
बाद सुनी तथा लखीमपुरा जिंडा से प्राप्त
मोड़ रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, लखी-
मपुरा जिंडा द्वारा अपने मोड़ रिपोर्ट में बताया
की मोजा- लेगी की ठानी पटवार मण्डल-सिन्धी
के मूल प्यसरा नम्बर-267 वर्तमान प्यसरा नम्बर
325/267, 322/267, 326/267, 328/267 व 329/267
में लखीमपुरा पटवारों के मध्य सहमती विभाजन व मोड़
की स्थिति मन्वान नहीं की गई है। जो गलत की
गई है। तथा बीच प्यसरा की लखीमपुरा सहमती विभा-
जन व मोड़ 36 जे मन्वान की गई है।

अतः आधीगांव के अधिकृत की
बाद सुनी व लखीमपुरा जिंडा से प्राप्त
मोड़ रिपोर्ट तथा पभावली के संलग्न राजस्व
रेकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद आधीगांव
का आवेदन स्विकार किया जाकर लखीमपुरा
जिंडा से प्राप्त मोड़ रिपोर्ट के संलग्न
नक्शे में दर्शाये गये मोजा-लेगी की ठानी

राज्यक कलेक्टर (SDO)
बायतु
जिला - बाड़मेर

सेवा में


तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

रा.श.वे.सं.-163/22 अन्वय-बनेतराम बोरो 1/5 तरमीलदार गिडा

ज. हुक्म
पे जा

परवार मण्डल - चिबी तरमील - गिडा के
 मूल प्यमरा नम्बर - 267 परमान प्यमरा नम्बर
 325/267, 322/267, 326/267, 328/267 व 329/267
 की पूर्व में ही गई तरमील की निरस्त किया
 जाकर मोडे 86 जे अनुमाद पुनः तरमील किने
 जाने के मोडेवा किने जाते है। तरमीलदार गिडा
 मोडेवा अनुमाद तरमील दुरस्त उर राजस्व रेड
 में समलउराम उरे। पमावली केवल कुमार
 होकर इज नम्बर से उम ही दाखिल फलत ही।


 सहायक कलपज (ECC),
 बायतु
 जिला - बाइमेर।